न्यायालय, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०), कानपुर–देहात।

UPRN010036422026

दाण्डिक प्रकीर्ण वाद सं0–332/2026

आकाश बनाम इन्दल आदि

दिनांक–10.07.2026

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी। पूर्व में प्रार्थी/आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

प्रार्थी/आवेदक आकाश की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० विपक्षीगण इन्दल आदि के विरूद्ध इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी ने रिपोर्ट लिखवाने हेतु दरख्वास्त जरिये रजिस्ट्री भेजी वह इस प्रकार है कि दिनांक 09.06.2026 समय करीब 12:00 बजे दिन जब प्रार्थी अपने खेतों पर काम करके घर पर आया था तो उसी समय इन्दल पुत्र स्व० राजाराम, मोहित पुत्र इंदल, श्रीमती मालती पत्नी इंदल निवासीगण मंगोलपुर थाना गजनेर कानपुर देहात ने आकर कहा कि उसकी वजह से जमीन का सही बटवारा नही हो पा रहा है आज उसे जिन्दा नही छोडेंगे। प्रार्थी डर की वजह से घर के अन्दर घुस गया जहाँ पर उपरोक्त लोग प्रार्थी को जान से मारने की नियत से घर के अन्दर एकराय होकर भद्दी भद्दी गालिया देते हुए प्रार्थी को लाठी डण्डो से मारपीट कर घायल करा दिया। प्रार्थी के चिल्लाने पर पडोस में रहने वाले अरूण पुत्र स्व० गौतम, रोहित पुत्र स्व० तिलक आ गये जिन्होने प्रार्थी को बचाया। इन्दल ने प्रार्थी के गले में पडी हुई सोने की जंजीर जबरजस्ती तोड ली। प्रार्थी के शरीर पर काफी चोटे आयी हैं। प्रार्थी थाना गजनेर कानपुर देहात रिपोर्ट करने गया उसकी रिपोर्ट नही लिखी गयी और न ही डाक्टरी मुआयना ही कराया गया। प्रार्थी ने दिनांक 11.06.2026 को सरकारी अस्पताल उर्सला कानपुर नगर में आकर अपनी चोटों का डाक्टरी परीक्षण कराया। प्रार्थी की रिपोर्ट लिखवाकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जावे।" प्रार्थी की चोटों का डाक्टरी परीक्षण सरकारी अस्पताल यू०एच०एम० ड्रिस्ट्रिक हास्पिटल कानपुर नगर, बडा चौराहा कानपुर नगर में दिनांक 11.06.2026 समय 1:41 पी०एम० पर किया गया। डाक्टरी परीक्षण की छायाप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना किये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में दो किता प्रार्थना पत्र मय पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात, दो किता मूल डाक रसीद, मेडिकल लीगल रिपोर्ट की छायाप्रति व आधार कार्ड की प्रति दाखिल किया गया है।

संबंधित थाने से प्राप्त आख्यानुसार आवेदक के प्रार्थना पत्र के संबंध में जाँच की गयी तो पाया गया कि आवेदक के घर के सामने तालाब है जिसमें आवेदक उसमें कब्जा कर रहा है। विपक्षी इन्दल आदि मना करते हैं। उसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इन्दल द्वारा न्यायालय में अंतर्गत धारा–174(4) बी.एन.एस.एस. में प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जो विचाराधीन न्यायालय है। उसी प्रतिशोध में आवेदक द्वारा अंतर्गत आरोप अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। शान्ति व्यवस्था की दृष्टि से दोनों पर धारा–126/135 भा.दं.सं. की कार्यवाही की जा चुकी है, लेकिन इस संबंध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को घटना के सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है, जैसा कि माननीय न्यायालय द्वारा **रामबाबू गुप्ता व अन्य बनाम**

उ.प्र.राज्य,2001(43) ए.सी.सी., इलाहाबाद उच्च न्यायालय पूर्ण पीठ योगेन्द्र सिंह बनाम स्टेट आफ यू.पी.2005(2) जे.आई.सी. 686 इलाहाबाद हाई कोर्ट, श्रीमती अन्जू प्रति स्टेट आँफ यू.पी. एवं अन्य 2009(4) जे.आई.सी.779, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुखवासी बनाम उ.प्र. राज्य 2008(1) ए.सी.आर. 170, मोहन शुक्ला एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू.पी. 2005(1) ए.सी.आर.155, सुरेश चन्द्र जैन प्रति मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य 2001(42) ए.सी.सी.459(सुप्रीम कोर्ट), जोसेफ माथुरी उर्फ विवेकानन्द व अन्य प्रति स्वामी सच्चिदानन्द हरी साक्षी व अन्य 2001(सप्लीमेंट्री) ए.सी.सी.957(सुप्रीम कोर्ट) में दी गयी व्यवस्थाओं के आलोक में यह प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र अंतर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाता है। पत्रावली वास्ते बयान अंतर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 05.09.2026 को पेश हो। तदनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० निस्तारित किया जाता है।

(पारुल श्रीवास्तव)
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(दस्यु प्रभावित क्षेत्र),
कानपुर–देहात।

दिनांक–10.07.2026

Digitally signed by Parul Srivastav
Date: 2026.07.10 16:22:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court